

1337
BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO.569/2023

ALOK KUMAR

APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

RESPONDENT(S)

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Status Report On Behalf Of Irrigation Department, ICD, Gaziabad With Affidavit	1-16
2.	Annexure P-1:- A true copy of the report sent by the District Magistrate, Gautam Budh Nagar dated 31.10.2023	17-20
3.	Annexure P-2:- A true copy of office letter bearing No. 2604/SI.N.Kh.Ga/ dated 20.11.2023	21-22
4.	Annexure P-3:- A true copy of the communication dated 24.04.2024 issued by Survey of India,	23-25
5.	Annexure P-4:- A true copy of the letter dated 13.05.2024	26
6.	Annexure P-5:- A true copy of the letter dated 26.07.2024 is	27-28

7.	Annexure P-6:- A true copy of the communication dated 27.09.2024 and 30.09.2024 (Colly.).	29-30
8.	Annexure P-7:- A true copy of the communication dated 15.10.2024	31
9.	Annexure P-8:- A true copy of the letter dated 17.10.2024	32-37
10.	Annexure P-9:- A true copy of the letter bearing No. 3061/SINIKHGA/NGT/ dated 18.10.2024.	38-39
11.	Annexure P-10:- . A true copy of the letter bearing No. 224/39-C-ED/Court Case dated 16.01.2025	40
12.	Annexure P-11:- . A true copy of the letter bearing No. 775/39-C-ED/Court Case dated 25.02.2025.	41
13.	Annexure P-12:- A true copy of the letter No. 810 dated 27.02.2025 and letter No. 996 dated 26.03.2025	42-43
14.	Annexure P-13:- A true copy of the letter No. 1205 dated 15.04.2025	44
15.	Annexure P-14:- A true copy of the letter No. 1767/39-C-ED (Court Case) dated 14.05.2025	45
16.	Annexure P-15:- A true copy of the letter No. 4271/39-C-ED (Court Case) dated 10.12.2025	46

1339

17.	Annexure P-16:- A true copy of the letter No. 4346/39-C-ED (Court Case) dated 15.12.2025	47-48
------------	---	-------

Date: 07.02.2026

Through



Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI

ADVOCATE

STANDING COUNSEL FOR STATE OF UP

F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014

E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

1340
BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO.569/2023

ALOK KUMAR

APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

RESPONDENT(S)

**STATUS REPORT ON BEHALF OF THE IRRIGATION DEPARTMENT,
ICD, GAZIABAD WITH AFFIDAVIT**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

- 1.** That the present Status Report is being filed on behalf of the Irrigation Department, ICD, Ghaziabad, in compliance with the directions issued by this Hon'ble Tribunal from time to time in the above-captioned Original Application. The present report places on record the factual position, steps undertaken by the answering Respondent, and the present status of the work relating to identification and demarcation of the floodplain zone of River Hindon in the districts of Ghaziabad and Gautam Budh Nagar, in accordance with the applicable statutory provisions and the directions of this Hon'ble Tribunal

1341

2. That it is respectfully submitted that the report dated 31.10.2023 submitted by the District Magistrate, Gautam Budh Nagar was placed before this Hon'ble Tribunal for consideration. Upon perusal of the said report, this Hon'ble Tribunal was pleased to issue further directions to the District Magistrate, Gautam Budh Nagar/Ghaziabad to undertake the exercise of identification and demarcation of the floodplains of the Hindon and Yamuna Rivers and to submit a comprehensive report in accordance with the provisions of the Ganga River (Conservation, Protection and Management) Authority Order, 2016 dated 07.10.2016, and in terms of the directions passed by this Hon'ble Tribunal. **A true copy of the report sent by the District Magistrate, Gautam Budh Nagar dated 31.10.2023 is annexed herewith and marked as Annexure P/1.**
3. That in compliance with the directions passed by the Hon'ble Tribunal, this office issued letter bearing No. 2604/SI.N.Kh.Ga/ dated 20.11.2023 addressed to the National Institute of Hydrology, Jal Vigyan Bhawan, Roorkee, requesting the said institute to provide a study proposal for determining and scientifically assessing the floodplain zone of the Hindon River. In response thereto, Dr. Surjeet Singh of the National Institute of Hydrology informed that approximately nine (09) months would be required to complete the said study and associated work. The said timeline requirement was

1342

duly communicated to the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi for its kind consideration. **A true copy of office letter bearing No. 2604/SI.N.Kh.Ga/ dated 20.11.2023 is annexed herewith and marked as Annexure P/2.**

4. That thereafter, vide order dated 12.03.2024, the Hon'ble National Green Tribunal directed that the demarcation of the floodplain zone of the Hindon River be completed within a period of one month with the involvement and technical assistance of the Survey of India. Pursuant thereto, the Survey of India, Lucknow was duly contacted. However, the Director, Survey of India, Lucknow informed that contour maps of the Hindon River at one-meter interval resolution were not available in their office records, and consequently, a fresh and comprehensive survey of the Hindon River would be required, which would likely take approximately three months to complete. This position was duly communicated to the Hon'ble Tribunal on 29.04.2024. Subsequently, vide order dated 29.04.2024, the Hon'ble Tribunal directed that the floodplain demarcation work be completed within three months with the involvement of the Survey of India. **A true copy of the communication dated 29.04.2024 issued by Survey of India, Lucknow is annexed herewith and marked as Annexure P/3.**

1343

5. That in compliance with the orders dated 12.03.2024 and 29.04.2024 passed by the Hon'ble Tribunal, a meeting was convened on 17.05.2024 under the chairmanship of the Chief Engineer (Yamuna), Irrigation Department, Uttar Pradesh, Okhla, with the Director, Geospatial Directorate, Gomti Nagar, Lucknow, and other concerned officers. During the said meeting, detailed deliberations were undertaken regarding the survey of the Hindon River for identification and demarcation of its floodplain zone. Further, a request was made to reduce the estimated project cost of Rs. 3,15,94,500.00 communicated vide letter dated 13.05.2024, so as to minimize the financial burden while ensuring completion of the technical survey work. **A true copy of the letter dated 13.05.2024 is annexed herewith and marked as Annexure P/4.**
6. That the Director, Geospatial Directorate, Gomti Nagar, Lucknow, vide letter dated 13.05.2024, informed that the complete execution of the survey process and preparation of final deliverables would require approximately five to six months, within the estimated cost of Rs. 3,15,94,500.00. It was further clarified that approximately three months would be required for field data acquisition, and an additional five to six months would be necessary for feature extraction, processing, and preparation of technical outputs.

1344

7. That due to the non-availability of contour maps of the Hindon River with the Survey of India, and the consequential requirement of conducting a fresh survey, this Division was constrained to file an Interlocutory Application before the Hon'ble Tribunal on 16.05.2024 seeking extension of time for compliance. The Hon'ble Tribunal was pleased to take cognizance of the said application and listed the matter for further hearing on 08.07.2024.
8. That subsequent to the meeting held on 26.06.2024 between the Chief Engineer (Yamuna), Irrigation Department, and officers of Survey of India, the Directorate of Geospatial, Lucknow submitted a revised estimate of Rs. 2,76,25,000.00 for undertaking the survey work of the Hindon River. The revised financial demand was promptly forwarded by this office to the competent higher authorities for necessary approval and allocation of funds.
9. That the Survey of India, vide its letter dated 26.07.2024, informed that survey teams were being deployed to undertake the survey work. Further, this office was requested to nominate officers for assisting in the survey work. In compliance thereof, this office issued letter bearing No. 2082/ dated 29.07.2024 nominating Assistant Engineers to coordinate and assist with the Survey of India teams. **A true copy of the letter dated 26.07.2024 is annexed herewith and marked as Annexure P/5.**

1345

- 10.** That subsequently, vide communications dated 27.09.2024 and 30.09.2024, both through official correspondence and personal follow-up, the Directorate of Geospatial, Lucknow was requested to expedite the commencement of survey work. However, despite repeated requests, the survey work could not be initiated during the said period. **A true copy of the communication dated 27.09.2024 and 30.09.2024 annexed herewith and marked as Annexure P/6.**
- 11.** That thereafter, the entire revised amount of Rs. 2,76,25,000.00, as demanded by Survey of India, was duly allocated and received on 04.10.2024, and payment thereof was made on 14.10.2024 in accordance with applicable procedures. **A true copy of the communication dated 15.10.2024 is annexed herewith and marked as Annexure P/7.**
- 12.** That the UP Geospatial Directorate, Gomti Nagar, Lucknow (Survey of India), vide letter bearing No. 5544/39-C-ED/Court Case dated 17.10.2024, provided a timeline indicating that the new survey work for identification and demarcation of the floodplain zone of the Hindon River in Gautam Budh Nagar and Ghaziabad districts would require approximately two to two and a half months, i.e., up to February 2025. **A true copy of the said letter dated**

1346

17.10.2024 is annexed herewith and marked as Annexure P/8.

13. That pursuant to receipt of the said timeline, this office issued letter bearing No. 3061/SINIKHGA/NGT/ dated 18.10.2024 informing the Hon'ble National Green Tribunal regarding the combined timeline for completion of the work. It was submitted that upon completion of the Survey of India work by February 2025, the Irrigation Department would commence its subsequent processes and complete the remaining work within an additional period of ninety (90) days, i.e., by July 2025. **A true copy of the letter bearing No. 3061/SINIKHGA/NGT/ dated 18.10.2024 is annexed herewith and marked as Annexure P/9.**

14. That in order to ascertain the physical progress of the survey work, this office issued letter bearing No. 98/SINIKHGA/NGT/ dated 13.01.2025. In response thereto, the UP Geospatial Directorate, Gombi Nagar, Lucknow, vide letter bearing No. 224/39-C-ED/Court Case dated 16.01.2025, informed that approximately 200 square kilometers area had been identified for floodplain demarcation in Gautam Budh Nagar and Ghaziabad districts. It was further informed that due to certain areas falling within Red and Yellow Zones, and due to operational constraints including requirement of ATC permissions and reduced visibility caused by heavy fog, data

1347

acquisition work was delayed and expected to commence upon improvement in weather conditions by the end of February 2025. **A true copy of the letter bearing No. 224/39-C-ED/Court Case dated 16.01.2025 is annexed herewith and marked as Annexure P/10.**

- 15.** That thereafter, vide letter bearing No. 775/39-C-ED/Court Case dated 25.02.2025, the UP Geospatial Directorate informed that the drone data acquisition work could not be undertaken due to adverse weather conditions, Republic Day restrictions on 26th January, and Vetting Retreat on 29th January, and further informed that the previously obtained DGCA permissions had expired and fresh permissions were required, upon receipt whereof the remaining data acquisition work covering approximately 600 square kilometers would be completed within approximately three months; it was further informed that after obtaining fresh DGCA permissions, approximately three additional months would be required to complete the remaining survey work, and that ORI and DEM data of 0.5 meter accuracy for approximately 200 square kilometers had already been acquired out of the total survey area of 850 square kilometers, while the data for the remaining 650 square kilometers would be provided upon receipt of the necessary DGCA permissions.
A true copy of the letter bearing No. 775/39-C-ED/Court

1348

Case dated 25.02.2025 is annexed herewith and marked as Annexure P/11.

- 16.** That thereafter, vide letter No. 810 dated 27.02.2025, the UP Geospatial Directorate provided ORI data of 200 square kilometers and DEM data of 0.5 meter accuracy in digital format (943 GB), which was subsequently forwarded by this office to the National Institute of Hydrology, Roorkee vide letter No. 996 dated 26.03.2025 for further analysis and scientific modelling. **A true copy of the letter No. 810 dated 27.02.2025 and letter No. 996 dated 26.03.2025 and is annexed herewith and marked as Annexure P/12(Colly.).**
- 17.** That vide letter No. 1205 dated 15.04.2025, the National Institute of Hydrology, Roorkee informed that a comprehensive hydrological and floodplain modelling study was being undertaken for the entire length of the Hindon River, approximately 355 kilometers. **A true copy of the letter No. 1205 dated 15.04.2025 is annexed herewith and marked as Annexure P/13.**
- 18.** That this office issued further communications vide letters dated 29.03.2025, 24.04.2025, and 13.05.2025 requesting provision of remaining survey data. In response thereto, the UP Geospatial Directorate, Gomti Nagar, Lucknow, vide its office letter No. 1767/39-C-ED (Court Case) dated 14.05.2025, informed as follows:

1349

"हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण हेतु जनपद गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर के 850 वर्ग कि.मी. के सापेक्ष बचे हुए 650 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र रेड जोन (No Flying Zone) में पडने के कारण ड्रोन फ्लाईंग हेतु सम्बन्धित ATC से इस कार्यालय द्वारा सम्बद्ध फर्मों ने अनुमति प्राप्त की थी एवं जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा संदर्भित पत्र (5) के द्वारा अनुमति प्राप्त की गयी थी। परन्तु प्राप्त की गयी अनुमति के दौरान नोटम क्लियरेन्स (ATC Final Clearance) न मिल पाने के कारण ड्रोन फ्लाईंग का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। जिसके उपरान्त इस कार्यालय द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (2) व (3) द्वारा पुनः ड्रोन फ्लाईंग हेतु अनुमति हेतु पत्र प्रेषित किये गये। परन्तु सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा वर्तमान परिस्थिति (WAR Situations) के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्रोन फ्लाईंग अनुमति न दिये जाने की मौखिक जानकारी उपलब्ध करायी गयी। यह कार्यालय ATC एवं जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद से निरन्तर सम्पर्क में है। परिस्थितियां सामान्य होने के उपरान्त ड्रोन सर्वेक्षण हेतु अनुमति प्राप्त होने के 2-3 माह में सम्पूर्ण (ड्रोन डाटा संग्रहण) सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त आपको शेष 650 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का डाटा उपलब्ध करा दिया जायेगा।"

1350

A true copy of the letter No. 1767/39-C-ED (Court Case) dated 14.05.2025 is annexed herewith and marked as Annexure P/14.

- 22.** That prior to the next date of hearing, the UP Geospatial Directorate, vide letter No. 4271/39-C-ED (Court Case) dated 10.12.2025, informed that ORI data and DEM data for 200 square kilometers had already been provided, and drone survey work for approximately 125 square kilometers had been completed, and that processing and QA/QC work was ongoing, and that the data would be made available upon completion of quality verification procedures. **A true copy of the letter No. 4271/39-C-ED (Court Case) dated 10.12.2025, is annexed herewith and marked as Annexure P/15.**
- 23.** That vide letter No. 4346/39-C-ED (Court Case) dated 15.12.2025, the UP Geospatial Directorate further informed that after revision of survey area in accordance with DGCA classification, the revised survey area was determined as 769 square kilometers, out of which data for 200 square kilometers had already been provided. It was further informed that survey work for approximately 125 square kilometers had been completed and remaining survey work was subject to

1351

permissions from concerned aviation and security authorities. **A true copy of the letter No. 4346/39-C-ED (Court Case) dated 15.12.2025 is annexed herewith and marked as Annexure P/16.**

- 24.** That it is respectfully submitted that out of the total revised survey area of 769 square kilometers, for 102 km length of Hindon river Stretch. this office has received survey data for approximately 305 square kilometers, including 200 square kilometers received on 28.02.2025 and 105 square kilometers received on 07.01.2026. Survey of India has provided Draft copy of 1 meter interval Counter map for stretch 102 km of hindon river in District in Ghaziabad and gautambudh nagar Draft copy of 01 meter interval maps has been provided by S.O.I Which is under Feasibility and Verification process. The HFL marking on maps will be started after verification The data received from Survey of India has already been forwarded to the National Institute of Hydrology, Roorkee for hydrological modelling and scientific floodplain determination on date 09-02-2026.
- 25.** That it is respectfully submitted that the demarcation of the floodplain zone of the Hindon River can only be undertaken upon receipt of complete survey data from the UP Geospatial

1352

Directorate, Gomti Nagar, Lucknow (Survey of India), and after completion of hydrological modelling and scientific analysis by the National Institute of Hydrology, Roorkee. Presently, data for the remaining revised area of approximately 464 square kilometers is awaited, and the demarcation process shall be undertaken immediately upon receipt of complete and verified data. The NIH Roorkee inform that it is lightly to take about **09 months** to complete the model study for flood plain zone of hindon river after the study of flood plain zone by NIH Roorkee, the Irrigation Department will start the work of ground level demarcation of flood plain zone on both side of hindon river, which is lightly to take **03 months**.

- 26.** In view of the facts and circumstances stated hereinabove, it is most respectfully submitted that the answering Respondent has been taking all necessary steps in compliance with the directions issued by this Hon'ble Tribunal and remains committed to completing the remaining work in accordance with applicable statutory provisions and technical requirements. The answering Respondent respectfully submits that further progress in the matter is contingent upon receipt of complete and verified technical data from the concerned authorities, whereupon the demarcation exercise shall be undertaken

1353

expeditiously. This Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to take the present Status Report on record and pass such further orders as may be deemed fit and proper in the facts and circumstances of the present case.

Through Respondent

Irrigation Department, ICD, Gaziabad

1354
BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO.569/2023

ALOK KUMAR

APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

RESPONDENT(S)

AFFIDAVIT

I, Rajkumar Vern, aged about 57 years, S/o Shri Nanak Chand Vern, is presently posted as Irrigation Construction Division, Ghaziabad, Uttar Pradesh, having an office at Ghaziabad, Uttar Pradesh.

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Hon'ble Tribunal.
2. That the accompanying status report has been drafted by our counsel upon my instructions.
3. That the contents of the accompanying status report are true and correct, and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.



1355

DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at **New Delhi**on this **12 FEB 2026** **February, 2026**,
that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the
best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has
been concealed therefrom.

*Identified by
Priyanka Swami
D/4476/10.
I identified the deponent who
has signed in my presence*



DEPONENT

ATTESTED

**NOTARY PUBLIC
(INDIA)**

12 FEB 2026

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

पत्रांक 362 /डी0एल0आर0सी0 / 2023

दिनांक 31-10-23

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 275/2023 महेश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.23 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर उल्लेख करना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 275/2023 महेश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 27.07.23 को आदेश पारित किये गये हैं। आदेश दिनांक 27.07.23 का सारवान अंश निम्नवत् है:-

11. "The District Magistrate, Greater Noida/Gautam Budha Nagar is directed to ensure the identification and demarcation of flood plain zone of River Yamuna and Hindan which shall be done by referring Notification dated 07th October, 2016 on "River Gang (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016" and Offi. Memorandum dated 14th February, 2022 on "Guidelines for siting industries which are in close proximity with the river" and submit a report within two months by e-mail : judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF."

List the matter on 02.11.2023

मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में हिण्डन व यमुना नदी के डूब क्षेत्र के चिन्हिकरण व सीमांकन हेतु जनपद स्तर पर कार्यालय आदेश संख्या 699/सा0प0-194/23 दिनांक 30.08.2023 द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), की अध्यक्षता में निम्नवत् समिति का गठन किया गया है:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नामित अधिकारी (सदस्य)
2. प्रमागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर (सदस्य)
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा/ग्रेटर नोएडा (सदस्य)
4. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर (सदस्य संयोजक)

उपरोक्त प्रकरण में जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर के कार्यालय आदेश संख्या 672/सी0आर0ए0/2023-24 दिनांक 09.10.2023 द्वारा मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 27.07.2023 के अनुपालन में चिन्हिकरण किये जाने तथा वर्तमान में डूब क्षेत्र की स्थिति एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण/अनाधिकृत रूप से आवादी प्रयोग के सम्बन्ध में सर्वे कर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नवत् टीम का गठन किया गया है:-

- 1- नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का सक्षम अधिकारी, (मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा नामित अधिकारी)
- 2- पुलिस विभाग का सक्षम अधिकारी (पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा नामित अधिकारी)।
- 3- उप जिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर गौतमबुद्धनगर।
- 4- सहायक अभिलेख अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- 5- क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, नोएडा/ग्रेटर नोएडा।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई गौतमबुद्धनगर।

- उक्त के क्रम में समिति की बैठक दिनांक 19.10.23 एवं 27.10.23 को हुई थी। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.23 के अनुक्रम में हिण्डन व यमुना नदी के डूब क्षेत्र के चिन्हीकरण व सीमांकन कराये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा आख्या प्रस्तुत की गई है। जिसकी प्रति मूल रूप में संलग्न कर मा0 अधिकरण के समक्ष सादर प्रस्तुत है।
- संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

31/10/23
(नीप कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी,
गौतमयुद्धनगर।

-2-

हिन्दन मार्जिनल बन्ध तथा उक्त सड़क का प्रति किमी० लेवल में अन्तर निम्न प्रकार है:-

	हिन्दन मार्जिनल बन्ध			ताज हाई-वे		
	नदी से बन्ध दूरी (मी० में)	बन्ध का टॉप लेवल (मी० में)	बन्ध की चौड़ाई (मी० में)	नदी से ताज हाईवे की दूरी (मी० में)	सड़क का टॉप लेवल (मी० में)	सड़क की चौड़ाई (मी० में)
13.200	350.00	204.95	5.50	1500.00	206.114	45.00
12.200	800.00	204.75	5.50	1000.00	203.738	45.00
11.200	1400.00	204.55	5.50	500.00	203.130	45.00
10.200	1500.00	204.35	5.50	200.00	202.230	45.00

ताज हाईवे की ऊँचाई बढ़ाकर एन०एच०-24 से गौर चौक तक फ्लड प्लेन जोन को स्पष्ट रूप से चिह्नित व सीमांकित किया जा सकेगा।

जनपद गौतमबुद्धनगर क्षेत्र में यमुना नदी के बाँयें किनारे पर तटबन्ध की कुल लम्बाई 70.093 किमी० है, जिसका फ्लड प्लेन जोन चिह्नित एवं सीमांकित है। हिन्दन नदी के बाँयें किनारे पर तटबन्ध की कुल लम्बाई 29.200 किमी० है तथा बाँयें किनारे पर तटबन्ध की कुल लम्बाई 31.200 किमी० है, जिसमें से 28.200 किमी० लम्बाई में फ्लड प्लेन जोन चिह्नित एवं सीमांकित है। हिन्दन नदी के बाँयें किनारे पर गौर चौक व एन०एच०-24 के मध्य मात्र 3.00 किमी० लम्बाई में फ्लड प्लेन जोन चिह्नित एवं सीमांकित नहीं है। एन०एच०-24 से गौर चौक तक ताज हाई-वे को तटबन्ध की भाँति प्रयोग करने पर फ्लड प्लेन जोन को स्पष्ट रूप से चिह्नित व सीमांकित किया जा सकेगा।

अधिसूचना अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नगर
ओखला, नई दिल्ली-25

अधिसूचना अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड
गौतमबुद्धनगर

उपजिलाधिकारी सदर्
गौतमबुद्धनगर

अधिसूचना अभियन्ता
खण्ड
ओखला

अधिसूचना अभियन्ता
खण्ड
ओखला
C.S. K. Gupta

अधिसूचना अभियन्ता
खण्ड
ओखला

अधिसूचना अभियन्ता
खण्ड
ओखला
ACPT-2

अधिसूचना अभियन्ता
खण्ड
ओखला
OSD Noida

अधिसूचना अभियन्ता
खण्ड
ओखला
C.S. K. Gupta

अधिसूचना अभियन्ता
खण्ड
ओखला
DC (AEC)
VEIDA

अधिसूचना अभियन्ता
खण्ड
ओखला
उपजिलाधिकारी
दादरी, (गौतमबुद्धनगर)

अधिसूचना अभियन्ता
खण्ड
ओखला
अपर जिलाधिकारी (वित्त/संज्ञक)
गौतम बुद्ध नगर

अधिसूचना अभियन्ता
खण्ड
ओखला
SPM. PUNJ

136 ANNEXURE P/2

प्रेषक,

अधिसासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

प्रेषित,

डा० सुरजीत सिंह
साइटिस्ट G

नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर

जल विज्ञान भवन, रुडकी, उत्तराखण्ड। पिन कोड-247007

दिनांक : 28/11/2023

पत्रांक : 2604 /सिनिखगा/एन0जी0टी

विषय

: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 275/2023 महेश कुमार बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य एवं 569/2023 आलोक कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.11.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 275/2023 महेश कुमार बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य एवं 569/2023 आलोक कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.11.2023 जो हिण्डन नदी व यमुना नदी के डूब क्षेत्र के चिन्हीकरण एवं सीमांकन से सम्बन्धित है। आदेश दिनांक 02.11.2023 का सारवान अंश निम्नवत है:-

2. The Tribunal after considering the respective position placed on record by order dated 27.07.2023 had directed as under:-
"11. The District Magistrate, Greater Noida/Gautam Budha Nagar is directed to ensure the identification and demarcation of flood plain zone of River Yamuna and Hindon which shall be done by referring Notification dated 07th October, 2016 on "River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016" and Office Memorandum dated 14th February, 2022 on "Guidelines for siting industries which are in close proximity with the river" and submit a report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF."
3. In terms of the said direction, the concerned District Magistrate was required to carry out the exercise and submit the report before the Tribunal.

4. "The report dated 31.10.2023 by the District Magistrate, Gautam Budh Nagar has been filed but after perusal of the said report and the enclosure, we find that the exercise for demarcation of flood plain zone of rivers Yamuna and Hindon in reference to the Notification dated 07.10.2016 has not been carried out. The report simply states that the area between the bund and the river is flood plain zone which is identified and demarcated. No such demarcation report in terms of the order of 2016 is on record."

उपरोक्त आदेश में गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश 2016 ((भारत का राजपत्र संख्या 2458/2016/अखिन 15, 1938 नई दिल्ली दिनांक 07.10.2016 (संलग्नक-1)) का संदर्भ लिया गया है जिसका सारवान अंश निम्नवत है:-

"3 (एल) बाढ़ मैदान" का अर्थ गंगा नदी व उसकी उपनदियों के ऐसे क्षेत्र से है जो इसके अधिकतम प्रवाह के संगत बाढ़ अथवा 100 वर्ष में एक बार आने वाली बाढ़ के समान बाढ़ के कारण दोनों ओर जल के अंदर आ जाता है।"

अतः उक्त के कम में प्रकरण की महत्ता एवं समयबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्तानुसार हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण हेतु अध्ययन प्रस्ताव एवं अनुमानित व्यय का ब्यौरा इस खण्ड को प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे कि कार्य के सापेक्ष व्यय धनराशि आपको उपलब्ध कराकर विषयक कार्य पूर्ण कराया जा सके एवं कृत कार्यवाही की आख्या उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जा सके।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

अधिसासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड गाजियाबाद

पत्रांक : /सिनिखगा/तददिनांक /11/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

2- मुख्य अभियन्ता (यमुना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० ओखला, नई दिल्ली-25।

3- अदीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद।

4- अधिसासी अभियन्ता, हैडक्वार्टर्स खण्ड आगरा नहर, ओखला को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया यमुना नदी के डूब क्षेत्र के चिन्हीकरण एवं सीमांकन हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

अधिसासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड गाजियाबाद

(On NIH Letter Head)
National Institute of Hydrology
Jal Vigyan Bhawan, Roorkee-247667 (Uttarakhand)

No.:
Date:
11.12.2023

To,
The Executive Engineer
Irrigation Construction Division
Ghaziabad (Uttar Pradesh)

Subject: Model study and coordinates for the Flood Zoning Study of the Hindon
River – regd.
Ref: Your letter No.2604 dated 20.11.2023

Sir,

With reference to the above-cited letter for the Flood Zoning Study of the Hindon River, the National Institute of Hydrology (NIH), Roorkee shall provide model studies and coordinates (Latitude & Longitude) of flood plain zone of Hindon river along with the report. The total cost of the study shall be Rs.45.0 Lakh plus GST and study duration shall be nine months.

Thanking you.

Yours faithfully,

(Surjeet Singh)
Scientist 'G'

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

आज की
अमृत महोत्सव



टेली-फैक्स/Tele-fax - 0522-2720634
दूरभाष/Telephone-0522-2720638
ई-मेल/E-mail: up.gdc.soi@gov.in (Tech)
upgdc-lko@up.nic.in (Admin)

निदेशक का कार्यालय/Office of Director
भारतीय सर्वेक्षण विभाग/Survey of India
मानचित्र भवन/Manchitra Bhawan
उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक निदेशालय (उत्तरी क्षेत्र)
Uttar Pradesh G.D (Northern Zone)
5, विभूतिखण्ड, गौमतीनगर, लखनऊ -226010(उ०प्र०)
5, Vibhutti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (UP)

दिनांक: 24/04/2024

पत्र सं० त-1774/39-ED

1774

सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड
गाजियाबाद।

विषय:- जनपद गाजियाबाद एवं गौतमबुद्ध नगर के हिण्डन नदी का कन्टूरमैप उपलब्ध कराने के संबंध में।

- संदर्भ:-
1. आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक 969/सिनिखगा/एन.जी.टी. दिनांक 04/04/2024
 2. राष्ट्रीय भू-स्थानिक निदेशालय - डेटा आपदा पुनर्प्राप्ति विंग A का ई-मेल दिनांक 23/04/2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषय में आपको अवगत कराना है कि हिण्डन नदी के दोनों किनारों के वांछित दूरी का 5 मी० Contour Interval का साफ्ट कॉपी डाटा एवं Printed hord copy Map आपके कार्यालय से आये अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 24/04/2024 को इस कार्यालय के Invoice No. RK/3711/UPGDC/LKO दिनांक 24/04/2024 के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। आपको यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त क्षेत्र का 1 मीटर Contour Interval की वांछित Accuracy के डाटा के लिए नये सर्वे की आवश्यकता होगी।

उक्त डेटा इस आशय के साथ आपको सुपूर्द किया जा रहा है कि डेटा को आपको द्वारा किसी व्यक्ति व संस्था के साथ साक्षा नहीं किया जायेगा तथा डेटा की पूर्ण सुरक्षा की जायेगी। डेटा का दुरुपयोग होने से भी बचाया जायेगा।

संलग्न:- यथोपरि।

Rajeev Nayan
(राजीव नयनम)
अधीक्षण सर्वेक्षक
कृते निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 275/2023 महेश कुमार बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य एवं 569/2023 आलोक कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.03.2024 के अनुपालन में यमुना नदी एवं हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हीकरण एवं सीमांकन हेतु हिण्डन नदी का नये सर्वे करने के सम्वन्ध में दिनांक 17.05.2024 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

मा० एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 275/2023 महेश कुमार बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य एवं 569/2023 आलोक कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.03.2024 के अनुपालन में यमुना नदी एवं हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हीकरण एवं सीमांकन हेतु नये सर्वेक्षण करने के सम्वन्ध में दिनांक 17.05.2024 को मुख्य अभियन्ता (यमुना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, ओखला के कार्यालय में बैठक आहूत की गयी जिसने निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- 1- श्री दिनेश कुमार पाण्डुवाल, मुख्य अभियन्ता (यमुना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० ओखला।
- 2- श्री डी.एन.पाठक, निदेशक भू-स्थानिक निदेशालय, गोमती नगर लखनऊ।
- 3- श्री धर्मेन्द्र सिंह फौगाट, अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य, आगरा।
- 4- श्री प्रताप कुमार सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल गाजियाबाद।
- 5- श्री बी.के.सिंह, अधिशासी अभियन्ता, ईड वर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला।
- 6- श्री राजकुमार वर्मा, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।
- 7- श्री एन.पी.सिंह, सहायक अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।
- 8- श्री कुलदीप सिंह, सहायक अभियन्ता, ईड वर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला।
- 9- श्री देवेश शर्मा, जूनियर इंजीनियर, ईड वर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला।

बैठक में सर्वप्रथम मा० एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 275/2023 महेश कुमार बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य एवं 569/2023 आलोक कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.04.2024 के सम्वन्ध में चर्चा हुई। मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2024 का सारवांग अंश निम्नवत है:-

1. In this Original Application, pivotal issue is in respect of demarcation of floodplain zone of River Yamuna and River Hindon in the concerned districts and unauthorised constructions thereon.
2. Tribunal in the order dated 12.03.2024 had expressed the opinion that Survey of India which is a national repute surveying agency can be engaged for demarcation of floodplain zone of River Yamuna and River Hindon.
3. Learned AAG appearing for State of UP has informed that so far as the floodplain zone of River Yamuna in the district is concerned, Survey of India has given the map with one metre contour for the stretch of 75 kilometres, out of which, identification of the stretch of 30 kilometer has been done and of remaining 45 kilometre will be done within one week and shape file will be prepared within this period and shared with the Survey of India.
4. She has submitted that demarcation of floodplain zone of entire 75 kilometre stretch will require four weeks time.
5. She has further submitted that since the parliamentary elections are in progress, therefore, four weeks time from 4th of June be granted for this purpose.

1364


(3)

कार्यान्वयन एवं फाईनल Deliverables में 05 से 06 माह का समय लगेगा, जिसमें 03 महीने फील्ड डेटा Acquisition एवं 5-6 महीने Feature Extraction की गतिविधि में लगने की सम्भावना है। उक्त दोनों कार्य समान्तर चलेंगे। उक्त कार्य में उपलब्ध कराये जाने वाले कम्प्यूटर की Accuracy में ऊँचाई में 50 सेंटीमीटर की भिन्नता आ सकती है। मैप में ग्रिड 5x5 मीटर की प्रयोग किये जायेंगे। हिण्डन नदी का सर्वे Lidar Sensor and High Resolution optical Camera Mounted on Air Craft द्वारा किया जायेगा। जनपद गाजियाबाद में हिण्डन एयर बेस क्षेत्र में नदी का सर्वे ड्रोन कैमरा द्वारा किया जायेगा। सर्वे का सम्पूर्ण डेटा डिजिटल फॉर्म में होगा। जो GIS Software में देखा जा सकता है।

मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संचायन विभाग, उ०प्र०, आखला द्वारा श्री डी०एन० पाठक, निदेशक से अनुरोध किया गया कि सर्वे हेतु दिया गया अनुमानित व्यय, यदि सम्भव हो तो कम कर दिया जाये तथा इस न्यूनतम रखा जाये तथा इस सम्बन्ध में एक कार्ययोजना अतिशीघ्र सिंचाई एवं जल संचायन विभाग, उ०प्र० को प्रस्तुत कर दी जाये, जिसमें कार्यों का विस्तृत विवरण, उनके मानकों व दरों को सम्मिलित किया जाये, जिस पर श्री डी.एन.पाठक, निदेशक द्वारा हिण्डन नदी के क्षेत्र के सर्वे की डी.पी.आर 01 सप्ताह में उपलब्ध कराने तथा व्यय को न्यूनतम रखने पर सहमति दी गयी। साथ ही अवगत कराया कि सर्वे के कार्य का शुरुआत होने के उपरान्त ही सर्वे का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


यमुना नदी के सम्बन्ध में सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा दिये गये मैप पर सिंचाई एवं जल संचायन विभाग, उ०प्र० द्वारा फ्लड प्लान जोन के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही को देखा गया तथा इस बात पर सहमति व्यक्त की गयी कि इस कार्य को करने के पश्चात सर्वे ऑफ इण्डिया से पुष्टि करा ली जाये।

निदेशक श्री डी०एन० पाठक से हिण्डन नदी के सर्वे कार्य को अतिशीघ्र कराने का अनुरोध किया गया तथा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


(दिनेश कुमार पाण्डुवाल)
मुख्य अभियन्ता (यमुना)

पत्राक:- मि-1029 / बैठक / दिनांक 21.05.2024

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- 1- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संचायन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
 - 2- श्री डी.एन.पाठक, निदेशक भू-स्थानिक निदेशालय, गौमती नगर, लखनऊ।
 - 3- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
 - 4- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
 - 5- अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, आगरा।
 - 6- अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल गाजियाबाद।
 - 7- अधिशासी अभियन्ता, हेडवर्क्स खण्ड आगरा नहर, आखला।
 - 8- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।


(दिनेश कुमार पाण्डुवाल)
मुख्य अभियन्ता (यमुना)

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



अति महत्वपूर्ण कोर्ट केस

निदेशक का कार्यालय
उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक निदेशालय
5-मानचित्र भवन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग
विभूति खण्ड, गौमती नगर, लखनऊ
दूरभाष- (0522)2720638 फैक्स- (0522)2720634
ई-मेल up.gdc.soi@gov.in

OFFICE OF DIRECTOR,
UTTAR PRADESH GEOSPATIAL DIRECTORATE,
5- Manchitra Bhawan, Survey of India,
Vibhuti Khand, Gomti Nagar, LUCKNOW-226010.
Phone: (0522) 2720638, Fax: (0522) 2720634.
E-mail: up.gdc.soi@gov.in

पत्र सं० त- 2067 /39-C-ED(Court Case)
सेवा में,

दिनांक: 13/05/2024

अधिशाली अभियन्ता,
सिचाई निर्माण खण्ड गाजियाबाद,
उत्तर प्रदेश।

विषय : मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. सं. 275/2023 महेश कुमार बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य एवं 569/2023 आलोक कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.03.2024 के अनुपालन में जनपद गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद में हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हीकरण एवं सीमांकन के संबंध में।
संदर्भ : आपके कार्यालय का पत्रांक-1291/ सि. नि. ख. गा./एन.जी.टी दिनांकित 07.05.2024.
महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अन्तर्गत आपके द्वारा हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हीकरण एवं सीमांकन हेतु हिण्डन नदी क्षेत्र का 1 नौ. कन्टूर इन्टरवल के मैप/डाटा एवं टोपोग्राफिकल Features को समाहित करने के साथ-2 नये सर्वे करने के व्यय का आकलन मांगा गया था। उपरोक्त के संबंध में यह अवगत कराना है कि आपके द्वारा चिन्हीत किये गये क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 850 वर्ग कि.मी. है जिसकी कुल लागत 3,15,94,500/- (रु. तीन करोड़ पन्द्रह लाख चौरानवे हजार पाँच सौ मात्र) आने की संभावना है जिसका प्रारूप संलग्नित है।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त संपूर्ण प्रक्रिया के कार्यान्वयन एवं फाईनल Deliverables में 5 से 6 माह का समय लग जायेगा। जिसमें 3 महीने फील्ड डेटा Acquisition एवं 5-6 महीने Feature Extraction की गतिविधि में लगने की संभावना है। उक्त दोनों कार्य समान्तर चलेगें। उपरोक्त आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

Rajeev Nigam
(राजीव नयनम)

अधीक्षण सर्वेक्षक,

कृते निदेशक, उ०प्र० भू-स्थानिक निदेशालय,

लखनऊ

प्रतिलिपि:

1. भारत के महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

अति महत्वपूर्ण कोर्ट केस

निदेशक का कार्यालय

उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक निदेशालय

5-मानचित्र भवन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग

विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

दूरभाष- (0522)2720638 फैक्स-(0522)2720634

ई-मेल up.gdc.sol@gov.in



OFFICE OF DIRECTOR,

UTTAR PRADESH GEOSPATIAL DIRECTORATE,

5- Manchitra Bhawan, Survey of India,

Vibhuti Khand, Gomti Nagar, LUCKNOW-226010.

Phone: (0522) 2720638, Fax: (0522) 2720634.

E-mail: up.gdc.sol@gov.in

पत्र सं० त- 3879 /39-C-ED(Court Case)

दिनांक: 26/07/2024

सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता,

सिचाई निर्माण खण्ड गाजियाबाद,

उत्तर प्रदेश। (ई-मेल: ee lcdgzb@yahoo.in)

विषय : मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. सं. 275/2023 महेश कुमार बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य एवं 569/2023 आलोक कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.03.2024 के अनुपालन में जनपद गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद में हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हीकरण एवं सीमांकन के संबंध में।


संदर्भ : आपके कार्यालय का पत्रांक-2032/ सि. नि. ख. गा./एन.जी.टी दिनांकित 24.07.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुक्रम में आपसे अनुरोध है कि यमुना नदी एवं हिण्डन नदी के फ्लड जोन के चिन्हीकरण एवं सीमांकन हेतु हिण्डन नदी के सर्वेक्षण कार्य के लिए आवंटित बजट से सर्वेक्षण कार्य में लगायी जाने वाली Empanelled Firm को भुगतान करने को प्राधिकार पत्र (LOA) प्रदान करने की कृपा करें।

इस कार्यालय द्वारा उपरोक्त सर्वेक्षण कार्य के लिए कुछ टीमों को तैनात किया जा रहा है जिसके लिए आपके कार्यालय द्वारा नामित एक संपर्क अधिकारी का संपर्क विवरण इस कार्यालय को प्रदान करें, जिससे सर्वेक्षण कार्य सुचारु रूप से किया जा सके।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार


(डी.एन. पाठक)
निदेशक।

प्रतिलिपि:

1. भारत के महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित ।

अभियंता की अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

प्रेषित,

निदेशक,

उपरी नू-रूपानिक निदेशालय,
गान्धी नगर, लखनऊ।

पत्रांक : 2082 / सिनिखगा / एन0डी0डी

दिनांक : 29/07/2024

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकारण, नई दिल्ली में विद्यमान और आरक्षण 273/2023 गडेरा कुमार कनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं 569/2023 आलोक कुमार प्रकाश मुभिषण आरु इण्डिया व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में जनपद गौतमपुरा नगर एवं गाजियाबाद में हिन्डन नदी के पलड प्लेन जोन के चिन्हीकरण एवं सीमांकन के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आपका कार्यालय पत्रांक 3879/39-सी-इं0डी0(कोर्ट केस)/दिनांक 26.07.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का उपलब्ध करने की कृपा करें। जिसके अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा किये अनुरोध के काम में आपके द्वारा जनुना नदी एवं हिन्डन नदी के पलड प्लेन जोन के चिन्हीकरण एवं सीमांकन हेतु नदी के संरक्षण कार्य के लिए आवंटित बजट से सर्वेक्षण कार्य में लगायी जाने वाली Empanelled Firm को भुगतान करने का प्राधिकार पत्र (LOA) प्रदान करने की वांछना की गयी है। उक्त के काम में अवगत कराना है कि Empanelled Firm को भुगतान करने का प्राधिकार पत्र (LOA) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ सार से निर्गत किया जायेगा। तदोपरान्त प्राप्त प्राधिकार पत्र (LOA) आपकी सेवा में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा। साथ ही आपके द्वारा सर्वेक्षण कार्य में तैनात की जा रही टीमों के साथ खण्ड की तरफ से सहयोग प्रदान करने हेतु इस खण्ड के श्री नरेश पाल सिंह, सहायक अभियन्ता-प्रथम सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद (मो0 नं0-8448368155) एवं श्री छतप्रताप सिंह रावल, सहायक अभियन्ता-चतुर्थ सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद (मो0 नं0-7906991007) को नामित किया जाता है।

अतः आपके द्वारा गठित टीमों के सदस्यों को इस खण्ड द्वारा नामित सहायक अभियन्ताओं से सम्पर्क हेतु नोवाइल नम्बर उपलब्ध करने की कृपा करें ताकि उक्त सर्वेक्षण कार्य सुचारु रूप से किया जा सके।

~~संलग्नक:- उपरोक्त पत्र~~

पत्रांक : 2082 / सिनिखगा / तददिनांक 29/07/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- मुख्य अभियन्ता (यमुना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 ओखला।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद।
- 3- अधिशारी अभियन्ता, हेडवर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला।
- 4- सहायक अभियन्ता-प्रथम, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।
- 5- सहायक अभियन्ता-चतुर्थ, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

अधिशारी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड गाजियाबाद

अधिशारी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड गाजियाबाद

प्रेषक:-

अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

प्रेषित:-

निदेशक,
यू0पी0 भू-स्थानिक निदेशालय,
गोमतीनगर, लखनऊ।

पत्रांक:- 2851 /सिनिखगा/एन0जी0टी0

दिनांक:- 27/09/2024

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 275/2023 महेश कुमार वनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं 569/2023 आलोक कुमार वनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में जनपद गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद में हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हीकरण एवं सीमांकन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 2032/सि0नि0ख0गा/एन0जी0टी0/दिनांक 24.07.2024

महोदय,


उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसके अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य की लागत रु 2,76,25,000.00 की मांग सम्बन्धी पत्र इस खण्ड को प्रेषित किया गया है जो आवंटन हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की जा चुकी है, जिसके शीघ्र ही आवंटन होने की प्रबल सम्भावना है। इस सम्बन्ध में संदर्भित पत्र द्वारा पूर्व में भी सर्वेक्षण कार्य को शीघ्र प्रारम्भ कराने का अनुरोध किया जा चुका है। तदपश्चात अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपके कार्यालय में दिनांक 27.08.2024 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अधीक्षण सर्वेक्षक, भू-स्थानिक निदेशालय, गोमतीनगर, लखनऊ से यमुना नदी एवं हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हीकरण एवं सीमांकन हेतु नदी के सर्वेक्षण कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में उनके द्वारा मौखिक आश्वासन दिया गया कि उक्त कार्य 01 सप्ताह में प्रारम्भ कर दिया जायेगा परन्तु उनके द्वारा दिये गये मौखिक आश्वासन के उपरान्त भी उक्त कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों के अनुस्मारक पत्र इस खण्ड को प्राप्त हो रहे हैं।


अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त सर्वेक्षण कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करने की कृपा करें ताकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन विषयक वाद में सुनवाई की आगामी तिथि 24.10.2024 में मा0 एन0जी0टी0 को प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

पत्रांक:- /सिनिखगा/एन0जी0टी0/तदिनांक 27/09/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1- मुख्य अभियन्ता (यमुना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 ओखला।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद।
- 3- अधिशाली अभियन्ता, ड्रैडवर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला।


अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।


अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

प्रेषक:-

अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

प्रेषित:-

निदेशक,
यू०पी० भू-स्थानिक निदेशालय,
गोमतीनगर, लखनऊ।

पत्रांक:- 2885 / सिनिखगा / एन०जी०टी०

दिनांक:- 30/09/2024

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 275/2023 महेश कुमार बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य एवं 569/2023 आलोक कुमार बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में जनपद गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद में हिण्डन नदी के फलड प्लेन जोन के चिन्हीकरण एवं सीमांकन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 2032 / सि०नि०ख०गा / एन०जी०टी० / दिनांक 24.07.2024
इस कार्यालय का पत्रांक 2851 / सि०नि०ख०गा / एन०जी०टी० / दिनांक 27.09.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करे। जिसके अन्तर्गत आपके द्वारा हिण्डन नदी के फलड प्लेन जोन के चिन्हीकरण एवं सीमांकन हेतु नदी के सर्वेक्षण कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया है जिसके कम में आपसे पत्राचार के माध्यम से एवं व्यक्तिगत सम्पर्क कर सर्वेक्षण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया है एवं आपके द्वारा सर्वेक्षण कार्य की मांग के सापेक्ष उच्च स्तर से आवंटन प्राप्त हो जाने के उपरान्त भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में आपको पूर्व में ही आस्वस्त किया जा चुका है परन्तु आपके द्वारा उक्त कार्य आज तक भी प्रारम्भ नहीं किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि हिण्डन नदी के फलड प्लेन जोन के चिन्हीकरण एवं सीमांकन हेतु नदी के सर्वेक्षण कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करने की कृपा करें ताकि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन विषयक वाद में सुनवाई की आगामी तिथि 24.10.2024 में मा० एन०जी०टी० को प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके एवं किसी विषम परिस्थिति से बचा जा सके।

पत्रांक:- 2885 / सिनिखगा / एन०जी०टी० / दिनांक 30/09/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1- मुख्य अभियन्ता (यमुना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० ओखला।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद।
- 3- अधिशाली अभियन्ता, हैडवर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला।

अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

1370

ANNEXURE P/7

अधिशारी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

प्रेषित:-

निदेशक,
यू०पी० भू-स्थानिक निदेशालय,
गोमतीनगर, लखनऊ।

दिनांक:- 15 /10/2024

पत्रांक:- 3022 /सिनिखगा/एन०जी०टी०


विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 569/2023 आलोक कुमार वनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में जनपद गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद में हिण्डन नदी के फलड प्लेन जोन के चिन्हीकरण एवं सीमांकन के नये सर्वेक्षण हेतु वांछित धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका कार्यालय का पत्रांक 2979/39-सी-(कोर्ट केस)/दिनांक 26.06.2024
इस कार्यालय का पत्रांक 2988/सिनिखगा/एन०जी०टी०/दिनांक 09.10.2024

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसके अन्तर्गत जनपद गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद में हिण्डन नदी के फलड प्लेन जोन के चिन्हीकरण एवं सीमांकन के नये सर्वेक्षण कार्य की लागत रु 2,76,25,000.00 की मांग सम्बन्धी पत्र इस खण्ड को प्रेषित की गयी है। जिसका भुगतान यू०पी० भू-स्थानिक निदेशालय, गोमतीनगर लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये खाते में UTR No. RBI2892468024063, Amount 2,76,25,000.00 Payment Date 14-10-2024 द्वारा किया जा चुका है। आनलाईन प्राप्त भुगतान यू०टी०आर० नम्बर की छायाप्रति संलग्न कर आपकी सेवा में सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।




अधिशारी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

पत्रांक:- 3022 /सिनिखगा/एन०जी०टी०/तदिनांक 15/10/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1- मुख्य अभियन्ता (यमुना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० ओखला।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद।



अधिशारी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

Annexure P/8

अति महत्वपूर्ण कोर्ट केस

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

निदेशक का कार्यालय/Office of Director

भारतीय सर्वेक्षण विभाग/Survey of India

मानचित्र भवन/Manchitra Bhawan

उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक निदेशालय (उत्तरीक्षेत्र)

Uttar Pradesh G.D (Northern Zone)

5, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ -226010(उ०प्र०)
5, Vibhuti Khund, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (UP)टेली-फैक्स/Tele-fax - 0522-2720634
दूरभाष/Telephone-0522-2720638
ई-मेल/E-mail: up.gdc.soi@gov.in (Tech)
upgdc-lko@up.nic.in (Admin)

पत्र सं० त- 5544 /39-सी-ED (कोर्ट केस)

दिनांक: 17/10/2024

सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता,

सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 569/2023 आलोक कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में जनपद गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद में हिण्डन नदी के फ्लड जोन के चिन्हीकरण एवं सीमांकन के भुगतान उपरान्त कार्य की समय रेखा से अवगत कराने के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 2988/सिनिखगा/एन.जी.टी, दिनांक 09/10/2024

महोदय,

उपरोक्त विषय व आपके संदर्भित पत्र के अन्तर्गत आपको निम्नानुसार अवगत कराया जाता है:-

1. That Survey of India, the National mapping agency established in 1767, is an oldest scientific department of India. Survey of India started Great Trigonometric Survey in 1802 which created the national geodetic frame. This geodetic framework was the basis of all further Surveying and Mapping in the country. Subsequently, Survey of India prepared maps of entire country on 1:2,50,000 scales with 100 m contour interval by the year 1960. Survey of India prepared 1:50,000 scale map with 20m contour interval by year 1980 and also nearly 60% of the country was mapped on 1:25,000 scale maps with 5-10m contour interval by year 1990. Apart from this survey of India has been engaged in various survey activity like tunnel alignment, magnetic survey, cantonment survey, demarcation of international boundary and state boundary, preparation of topographical maps at various scales, project survey etc.

2. That post year 2000, Survey of India engaged in many nationwide projects. In National Urban Information Scheme (NUIS), from 2006 to 2018, the 1:2000 and 1:10,000 scale data for 152 towns were created for Ministry of Housing and Urban Affairs. In Integrated Coastal Zone Management (IOZM) project, from 2010 to 2018, the contours at 0.5 meter vertical interval and base map at 1:10,000 scale in the belt of seven km from the coast of India was prepared for Ministry of Environment & Forest. In National Mission for Clean Ganga (NMCG), started in the year 2018, Digital Elevation Model of 0.5 meter accuracy and High Resolution GIS Data is being created in belt of 10 kilometer either side of river Ganga. In National Hydrologic Project (NHP), started in the year 2017, the Digital Elevation Model of 0.5 meter accuracy in the

belt of 5 kilometer either side of River bank of main Rivers of Uttar Pradesh. State of Geo. some area of Punjab, West Bengal, Tripura and Nagaland is being created. Under NHP, the 3-Meter accuracy Digital Elevation Model (DEM) and Geo data base on 1:25,000 scale of approximately 8 lakh square kilometre area (including area of Uttar Pradesh), height to Hydromat stations, Bathymetry of few rivers of West Bengal has also been prepared. Under NHP & NMCG, the 0.5 meter accuracy DEM of approx 94,000 square kilometre is prepared. In Survey of Villages and Mapping with Improved Technology in Village Areas (SVAMITVA), started in year 2020, the Land Parcel Map of abadi area of notified rural villages using 5 cm ground sampling distance Orthorectified Imagery is being generated for Ministry of Panchayati Raj. Data under SVAMITVA was created by establishing Continuous Operating Reference System (CORS) network & imagery data was captured by Drone flying.


3. In December 2022 National Geospatial Policy (NGP- 2022) has been promulgated in which the mandate of Survey of India is to establish and maintain Geodetic Reference Frame (GRF), Digital Elevation Model, Administrative and functional areas Boundary, Geographical names and Ortho imagery. As per NGP-2022, the responsibility of main Geospatial themes are responsibility of various Ministries/Departments is as below:-

S.No.	Responsibility	Nodal Ministry/Department (Organizations)
i.	Geodetic Reference Frame	Department of Science & Technology (Survey of India)
ii.	Orthoimagery	Department of Science & Technology (Survey of India) Department of Space (Space based technology) (National Remote Sensing Centre)
iii.	Functional Areas (Administrative Boundaries)	Department of Science & Technology (Survey of India)
iv.	Geographical Names (Toponymy)	Department of Science & Technology (Survey of India)
v(a).	Elevation	Department of Science & Technology (Survey of India)
v(b).	Depth	Ministry of Ports, Shipping & Waterways (Inland Water) Ministry of Earth Science (Ocean & Sea)
vi.	Water	Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation
vii.	Transport Networks	Ministry of Road Transport and Highways Ministry of Railways Ministry of Ports, Shipping & Waterways Ministry of Civil Aviation
viii.	Buildings and Settlements	Ministry of Housing and Urban Affairs (Urban) Ministry of Panchayati Raj (Rural)
ix.	Land Cover and Land Use	Department of Space (National Remote Sensing Centre) Ministry of Environment, Forest & Climate Change (Forests) (Forest Survey of India)
x.	Physical Infrastructure	Ministry of Housing and Urban Affairs (Urban) Ministry of Panchayati Raj (Rural)
xi.	Land Parcels	Department of Land Resources (Rural) Ministry of

xii.	Addresses	Housing and Urban Affairs (Urban) Ministry of Housing and Urban Affairs (Urban) Ministry of Panchayati Raj (Rural)
xiii(a).	Geology	Ministry of Mines (Geological Survey of India)
xiii(b)	Soils	Department of Agricultural Research and Education (National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning)
xiv.	Population Distribution	Ministry of Home Affairs (Office of the Registrar General & Census Commissioner, India)

So, post year 2022 Survey of India responsibility is five data themes as mentioned above.

4. The Presently digital elevation model (DEM) and other data of required accuracy for the requisite area of Hindan River is not available hence new survey is required.



Area of interest of River Hindan River Gaziabad and Gautambuddha Nagar marked in SoI Toposheet

Total area of interest of Basin of Hindan River for carrying out fresh survey to generate .5m resolution DEM is approximately 850 Sq Km in both Gaziabad and Gautambuddha Nagar Districts combined.

5. Methodology and technology

(a) Provision of Ground Control Points and Identification, Establishment, Densification & Utilization of Ground Control Points (GCPs)

This part includes planning, observation, computation and monumentation of Ground Control Points. Existing CORS (Continuously Operating Reference Station) of Survey of India and Control points established under various mapping work shall be utilized for the project. Densification of CORS network for more precise and reliable horizontal and Vertical control if required.

(b) Data Acquisition using High end sensor (Optical/ Lidar)

This part includes Acquisition of Raw Digital data by Aerial Platform for generating Digital Elevation Model (DEM) of 0.5-meter accuracy and Digital Ortho-imagery of 20 cm GSD (Ground Sampling Distance).

(c) Pre-processing

i. This part includes Flight planning, sensor calibration, Flight execution as per plan. Quality assurance and Quality control (QA/QC) for review of flight line alignment, raw data validation for completeness, avoiding data voids, strip matching, pre-processing of on-board Global Navigation Satellite system / Inertial Measurement Unit (GNSS/IMU) data for trajectory file and other pre-processing steps needed for point cloud extraction/ preparing data for post-processing stage.

ii. This process includes obtaining necessary clearances from Authorities concerned for flying over the survey area and to acquire data.

iii. This part includes mobilizing all necessary equipment, software and hardware for carrying out the activity.

(d) Post-Processing for generation of DSM, DEM and Digital Ortho-imagery

i. This part includes generating Digital Surface Model (DSM) from raw/ pre-processed data and performing necessary editing/ filtering of non-ground points (vegetation, built-up areas, bridges, elevated structures etc.) for generating bare-earth DEM of 0.5-meter accuracy.

ii. This part includes performing QA/QC at various stages of project including validating horizontal and vertical accuracy as per specifications.

iii. This part includes to integrate Geoid model supplied by SoI with the DEM on ellipsoidal heights for yielding DEM on MSL heights.

iv. This part includes generating Ortho-imagery of 20 cm GSD.

(e) Base Map Generation & 2D Feature Extraction

i. The ortho-rectified image, after data/image (obtained from Aerial Survey) processing, shall act as a base map from which topographical and man-made (visible) features as mentioned by irrigation dept. in the introduction section shall be extracted.

ii. Administrative boundaries, revenue boundaries etc. available with SoI will be incorporated during Feature Extraction

(f) 2D Feature Extraction

2D topographical features shall be derived from Ortho-rectified using suitable (Geographical Information System) GIS software. The base map shall comprise of various layers in GIS format as per the requirements of the project.

(Open Geospatial Consortium) OGC compliant GIS database models shall be implemented for generation of GIS layer data structure for storing spatial & attribute data.

The features to be extracted shall be as per the deliverables/ wish list provided by the irrigation department.

(g) Ground truthing, validation of Topographical and man-made features in maps shall be carried out by Irrigation Department.

- (ii) As per National Geospatial Policy-2022, (Attached), it is the responsibility of the Survey of India to carry out work of Sl.No.5(a) to 5(e) while work related to Sl.No.5(f) is to be carried out by respective Government Department as laid down in Annexure III of the Policy (Page No. 22 to 24 of the NGP document).

However Survey of India will provide existing Topographical Features pertaining to the Area of Interest on 1:25000 Scale as required by the UP Irrigation Department. After curating the data for the Project Area.

Work Plan/ Roles and Responsibilities

i. Survey of India (SOI)

- Project will be executed under close supervision of SOI.
- Activities given in Sl.No. 5(a) to 5(e) will be outsourced by SOI. The quality checking shall be under the supervision of SOI.
- To the extent it is feasible, SOI will deploy maximum resources for these activities on priority.
- All mentioned above including Project planning, preparation of bid/RFP, bid processing, award of work, work execution as per contract etc. would be done under the supervision of SOI and shall adhere with the norms as laid by Government of India

ii. Irrigation Department, Govt. of UP

- Topographical features or any other features to be incorporated must be communicated well in advance
- Activities at Sl.No.5(g) including activities involving ground truthing would be under taken by Irrigation department.

TIME SCHEDULE -

Time line of the Project will be as follows

ACTIVITY	DURATION	TIME-LINE(14/10/2024 is start Date of Project after receipt of Payment from Project authorities)
Tendering process and award of contract	1.5 Months	-
Data acquisition and Post-processing for generation of DSM, DEM, Contours and ORI	2 Months	Outsourced team directed From other project to the project area, work started on 16/10/2024, 30sqm km area drone flying completed. Data acquisition work likely to be completed by 31 Dec, 2024.
Feature Extraction	2-2.5 Months	By February, 2025.

Survey and mapping activity wise Time line calculation for completing work 850 sq. km Project area is as under:

ACTIVITY	Out turn	No. and Duration of deployment
Data acquisition and Post processing for generation of DSM; DEM, Contours and ORI	65 to 75 sq.km per Drone team per month	6 Drone team for 2 months (6 Drone Team x 65 to 75 sq km per month x 2 month = 850 sq km approx area to be surveyed)
Data curation on 1:25k Scale for the Project Area	1 man days per sq km	Required Man days for the activity = 1 man days per sq km x 850 sq km = 850 man days , 17 digitisers are proposed to be deployed for Feature extraction work with requisite Hardware and software 17 digitizers x 25 days x 2 month = 850 approx man days

उक्त आपको सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संतनन:- यथोपरि।


(डी.एन. पाठक)
निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र चण्डीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० ओखला।

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

प्रेषित,

मा० स्थायी अधिवक्ता
मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण
नई दिल्ली-25

पत्रांक : 3061 / सिनिखगा/एन०जी०टी

दिनांक : 18 / 10 / 2024

विषय : मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 275/2023 महेश कुमार बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य एवं 569/2023 आलोक कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.04.2024 के अनुपालन में जनपद गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद में हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हीकरण एवं सीमांकन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 275/2023 महेश कुमार बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य एवं 569/2023 आलोक कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.04.2024 जिसमें जनपद गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद में हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हीकरण एवं सीमांकन करने हेतु आदेशित किया गया है जिसका सारवान अंश निम्नवत है:-

2. I.A. No. 240/2024 seeks direction in respect of demarcation of floodplain zone of the river Hindon by the Executive Engineer, Irrigation and Construction Division, Ghaziabad. Pressing the said application Learned AAG for the State of U.P has submitted that the prayer for extension of time further six month permitting Survey of India to complete the survey in terms of the letter dated 13.05.2024 be allowed. She has submitted that the Survey of India is undertaking the exercise to map the floodplain zone of river Hindon in District Ghaziabad by using one meter contour intervals and the said exercise of mapping the floodplain zone as also its identification, demarcation and notification of floodplain zone will be completed within a period of six months. She 2 submits that State has no objection in the payment of the amount as reflected in the letter dated 13.05.2024 to the Survey of India. The prayer for extension of time has been pressed.

3. She has also submitted that so far as demarcation of floodplain zone of river Yamuna in District Gautam Budh Nagar and Greater Noida is concerned that exercise has already been completed and the report in that regard shall be filed in O.A No. 275/2023 which is listed on 07.08.2024.

4. Having regard to the circumstances disclosed I.A. 240/2024 is allowed with a direction that further progress report will be filed atleast one week before the next dated of hearing to ascertain the action taken in compliance of the statement made today.

5. List on 24.10.2024. 6. It is made clear the O.A. NO. 275/2023 will be listed on date already fixed.

- मा० एन०जी०टी० के उक्त आदेशों के क्रम में जनपद गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद में हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हीकरण एवं सीमांकन हेतु हिण्डन नदी क्षेत्र का नये सर्वे में दिनांक 24.07.2024 को व्यक्तिगत एवं पत्र के माध्यम से भू-स्थानिक निदेशालय लखनऊ से सर्वे कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया जिसके क्रम में उनके द्वारा मौखिक अवगत कराया गया कि सर्वे कार्य का भुगतान किये जाने के उपरान्त हिण्डन नदी के नये सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- तदोपरान्त उक्त कार्य हेतु उच्च स्तर से धनराशि आवंटन हेतु व्यक्तिगत प्रयास किया गया।
- दिनांक 11.10.2024 को श्रीमती गरिमा प्रसाद, अतिरिक्त ऐडवोकेट जनरल की उपस्थिति में जूम ऐप के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें सर्वे आफ इण्डिया, लखनऊ के निदेशक श्री डी०एन० पाठक, श्री रविन्द्र मीना, अधीक्षण सर्वेक्षक, सर्वे आफ इण्डिया लखनऊ एवं सिंचाई विभाग के अधिकारी श्री डी०के० पाण्डुवाल, मुख्य अभियन्ता (यमुना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, ओखला, श्री प्रभात कुमार सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद, एवं श्री राजकुमार वर्न, अधिशाली अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद द्वारा प्रतिभाग किया गया जिसमें श्रीमती गरिमा प्रसाद अतिरिक्त ऐडवोकेट जनरल द्वारा मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेशों पर विस्तृत चर्चा की गयी तथा श्री डी०एन० पाठक, डारेक्टर सर्वे आफ इण्डिया, लखनऊ से हिण्डन नदी के सर्वे हेतु टाईम शोड्यूल/टाईम लाईन की वांछना की गयी।
- दिनांक 14.10.2024 को सर्वे आफ इण्डिया द्वारा की गयी संशोधित मांग रु 2,76,25,000.00 के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान किया गया।

दिनांक 17.10.2024 को निदेशक भू-स्थानिक निदेशालय, लखनऊ द्वारा जनपद गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर में हिण्डन नदी के नये सर्वेक्षण करने हेतु निम्न टाईम स्ड्यूल/टाईम लाईन दिया गया

TIME SCHEDULE

ACTIVITY	DURATION	TIME LINE (14-10-2024 is start Date of Project after receipt of payment from project authorities
Tendering process and award of contract	1.5 Months	
Data acquisition and post Processing for generation of DSM, DEM, Contours and ORI	2 Months	Outsourced team directed From other project to the project area, work started on 16-10-2024, 30 sqm km area drone flying completed. Data acquisition work likely to be completed by 31 Dec, 2024.
Feature Extraction	2-2.5 Months	By February, 2025

Survey and mapping activity wise time line calculation for completing work 850 sq.km Project area is as under.

ACTIVITY	Our Turn	No. and duration of deployment
Data acquisition and post processing for generation of DSM, DEM, Contours and ORI	65 to 75 sq.km per Drone team per month	6 Drone team for 3 months (6 Drone Team X 65 to 75 sq km per month x 2 month= 850 sq km approx area to be surveyed
Data duration on 1:25k Scale for the Project Area	1 man days per sq km	Required Man days for the activity=1 man days per sq km x 850 sq km= 850 man days, 17 digitisers are proposed to be deployed for feature extraction work with requisite Hardware and Software 17 digitizers x 235 days x 2 month=850 approx man days

सर्वे आफ इण्डिया द्वारा उक्त टाईम लाईन के अनुसार जनपद गौतमबुद्धनगर एवं जनपद गाजियाबाद में हिण्डन नदी के नये सर्वे के कार्य का DEM/CONTOUR MAP माह फरवरी 2025 में उपलब्ध कराया जायेगा तदोपरान्त नदी के फ्लड प्लेन जोनिंग हेतु निम्नानुसार समय लगना सम्भावित है

ACTIVITY	DURATION
After Feb 2025	
1- Marking of HFL on DEM/Map.	15 Days
Tendering process and award of contract for work fixing of pillar of flood flood plain zone on both side of Hindon river in District Ghaziabad and Gautambuddh nagar.	45 Days
2- Fixing of cordinates of Flood plain zone on ground by survey of india.	
3- Fixing of Pillar of flood plain zone on both side of Hindon river in District Ghaziabad and Gautambuddh nagar.	90 Days.

उक्त के दृष्टिगत जनपद गौतमबुद्धनगर एवं जनपद गाजियाबाद में हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोनिंग का कार्य जुलाई 2025 तक पूर्ण होने के सम्भावना है।

पत्रांक 3061/सिनिखगा/तददिनांक 18/10/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (यमुना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० ओखला, नई दिल्ली-25।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद।


अधिसासी अभियन्ता

सिंचाई निर्माण खण्ड गाजियाबाद

अधिसासी अभियन्ता

सिंचाई निर्माण खण्ड गाजियाबाद

ANNEXURE P/10



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

टेली-फैक्स/Tele-fax - 0522-2720634
दूरभाष/Telephone-0522-2720638
ई-मेल/E-mail: up.gdc.sol@gov.in (Tech)
upgdc-lko@up.nic.in (Admn)



निदेशक का कार्यालय/Office of Director
भारतीय सर्वेक्षण विभाग/Survey of India
मानचित्र भवन/Manchitra Bhawan
उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक निदेशालय (उत्तरी क्षेत्र)
Uttar Pradesh G.D.(Northern Zone)
5, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ -226010(उ0प्र0)
5, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (UP)

पत्र सं० त -224 /39-C-ED(Court case)

दिनांक:- 16/01/2025

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,

सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ ए संख्या - 569/2023 अलोक कुमार बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में जनपद गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद में हिण्डन नदी के फ्लड जोन के चिन्हीकरण एवं सीमांकन के संबंध में।

संदर्भ:- आपके कार्यालय का पत्रांक- 98/सिनिखगा/एन.जी.टी. दिनांक 13/01/2025

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र व विषय के अन्तर्गत आपको अवगत करना है, हिंडन नदी के कुल 850 वर्ग किमी क्षेत्र का data acquisition किया जाना है, जिसका Work Order माह अक्टूबर में फ़र्म को दिया गया था, जिसमें 200 वर्ग किमी. का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका डाटा इस कार्यालय को प्राप्त हो चुका है। कुछ क्षेत्र रेड तथा येलो जोन में होने के कारण संबंधित ATC तथा विभागों से अनुमति प्राप्त होने में समय लगा है तथा अनुमति प्राप्त हो गयी है किन्तु वर्तमान में कोहरे अधिक होने से दृश्यता कम हो गयी है तथा data acquisition नहीं हो पा रहा है | जैसे ही दृश्यता सर्वेक्षण के लायक होने से शीघ्र data acquisition प्रारम्भ कर माह फरवरी के अंत तक पूर्ण कर लिया जायेगा |

उक्त आपके सूचनार्थ प्रस्तुत है।

कुमार द्विवेदी)

Signed by Pawan Kuma
Dwivedi
Date: 20-01-2025 11:10
(पवन)

अधिकारी सर्वेक्षक/तकनीकी अधिकारी
कृते निदेशक

प्रतिलिपि:- अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली कैंट को सूचनार्थ प्रेषित।

1380
भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



टेली-फैक्स/Telc-fax - 0522-2720634
दूरभाष/Telephone-0522-2720638
ई-मेल@E-mail: up.gdc.soi@gov.in (Tech)
upgdc-lko@up.nic.in (Admn)

निदेशक का कार्यालय/Office of Director
भारतीय सर्वेक्षण विभाग/Survey of India
मानचित्र भवन/Manchitra Bhawan
उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक निदेशालय (उत्तरी क्षेत्र)
Uttar Pradesh G.D.(Northern Zone)
5, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ -226010(उ०प्र०)
5, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (UP)

पत्र सं० त-११५/३९-८-६८(Court case)
सेवा में,

दिनांक:- 25/02/2025

अधीक्षण अभियन्ता,
इनेज मण्डल, गाजियाबाद।
(ई-मेल: etjcdgzb@yahoo.in)

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ ए संख्या - 569/2023 अलोक कुमार यनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में जनपद गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद में हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हीकरण एवं सीमांकन के संबंध में।


- संदर्भ:-
1. आपके कार्यालय का पत्रांक- 164/डी.सी.जी/एन.जी.टी.(गाजियाबाद) दिनांक 17/01/2025
 2. M/s Aarav Unmanned Systems Pvt. Ltd. का ई-मेल दिनांक 07/02/2025
 3. M/S Matrix-Geo Solutions Pvt. Ltd. का ईमेल दिनांक दिनांक 07/02/2025
 4. इस कार्यालय का पत्र संख्या त-224/39-C-ED (Court Case) दिनांक 16/01/2025
 5. इस कार्यालय का पत्र संख्या त-670/39-C-ED (Court Case) दिनांक 13/02/2025

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में आपको अवगत कराना है कि हिण्डन नदी के लगभग 200 वर्ग किमी का डाटा इस कार्यालय द्वारा तैयार किया जा चुका है जिसे आपके कार्यालय के प्रतिनिधि को इस कार्यालय में भेज कर प्राप्त किया जा सकता है।

शेष क्षेत्र का डाटा हेतु संदर्भित पत्र (2) तथा (3) के अन्तर्गत अनुबंधित फर्मों ने मौसम ठीक न होने से Drone data acquisition नहीं किया जा सका तथा दिनांक 26 जनवरी को गणतन्त्र दिवस तथा 29 जनवरी को वीटिंग रिट्रीट होने से माह जनवरी के अंत में भी यह कार्य शुरू नहीं हो सका तथा फर्मों द्वारा Directorate General of Civil Aviation (DGCA) से प्राप्त अनुमति भी समाप्त हो गयी है, जिसे फर्मों द्वारा फिर से अनुमति हेतु संबंधित Directorate General of Civil Aviation (DGCA) को लिखा गया है। अनुमति प्राप्त होने की तिथि से लगभग तीन माह के समय में शेष वचा क्षेत्र लगभग 600 वर्ग किमी. जो कि Red तथा Yellow Zone में है Data acquisition कर तथा तैयार कर आपको प्रेषित किया जा सकेगा।

भवदीय,


(पवन कुमार द्विवेदी)

अधिकारी सर्वेक्षक/तकनीकी अधिकारी

कृते निदेशक

- प्रतिलिपि:-
1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
 2. अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली कैंट को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रेषक:-

अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

प्रेषित:-

डा० सुरजीत सिंह
साइंटिस्ट G
नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ हाईड्रोलॉजी
जल विज्ञान भवन, रुडकी, उत्तराखण्ड।

पत्रांक:- 99633 / सिनिखगा / एन०जी०टी०

दिनांक:- 26/03/2025

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 569/2023 आलोक कुमार बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में जनपद गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद में हिण्डन नदी के पलड प्लेन जोन के चिन्हीकरण एवं सीमांकन के सम्बन्ध में 200 वर्ग कि.मी. का डाटा प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 3062 / सिनिखगा / एन०जी०टी० / दिनांक 18.10.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे। जिसके अन्तर्गत जनपद गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद में हिण्डन नदी के पलड प्लेन जोन के चिन्हीकरण एवं सीमांकन से सम्बन्धित है जिसके क्रम में यू०पी० भू-स्थानिक निदेशालय गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा सर्वेक्षण कार्य कुल 850 वर्ग कि.मी. के सापेक्ष 200 वर्ग कि.मी. का ORI व 0.5 मीटर Accuracy का DEM का डाटा उपलब्ध करा दिया गया है तथा शेष 650 वर्ग कि.मी. का डाटा Directorate General of Civil Aviation (DGCA) से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त प्रेषित किया जाना अपने पत्र में अंकित किया है।

अतः उक्त के क्रम में इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया 200 वर्ग कि.मी. का ORI व 0.5 मीटर Accuracy का DEM का डाटा 943GB SIZE में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें तथा साथ ही अवगत कराना है कि आपके द्वारा संदर्भित पत्र के अनुक्रम में प्राप्त प्रफॉर्मा बिल उच्चाधिकारियों को बजट आवंटन हेतु प्रेषित किया जा चुका है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।



अधिशाली अभियन्ता

सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

पत्रांक:- 99633 / सिनिखगा / एन०जी०टी० / तदिनांक 26/03/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1- मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (यमुना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० ओखला।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद।


14/04/2025
12.55 PM


अधिशाली अभियन्ता

सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



अति महत्वपूर्ण कोर्ट केस

निदेशक का कार्यालय/Office of Director
भारतीय सर्वेक्षण विभाग/Survey of India
मानचित्र भवन/Manchitra Bhawan
उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक निदेशालय (उत्तरीक्षेत्र)
Uttar Pradesh G.D (Northern Zone)
5, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ -226010(उओप्रओ)
5, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (UP)

टेली-फैक्स/Tele-fax - 0522-2720634
दूरभाष/Telephone-0522-2720638
ई-मेल/E-mail: up.gdc.soi@gov.in (Tech)
upgdc-lko@up.nic.in (Admn)

पत्र सं० त- 810 /39-सी (कोर्ट केस)

दिनांक: 27/02/2025



सेवा में,
अधिकांसी अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 569/2023, आलोक कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में जनपद गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद में हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हीकरण एवं सीमांकन के संबंध में।
संदर्भ:- आपके कार्यालय का पत्र संख्या:-98/सिनिखगा/एन.जी.टी दिनांक 13/01/2025

महोदय,

उपरोक्त विषय व संदर्भित पत्र के संबंध में इस कार्यालय के श्री हार्दिक कुमार, एम.टी.एस. को संलग्नित वीजक संख्या R.K/23/UPGD, Lucknow दिनांक 27/02/2025 के अन्तर्गत हिण्डन नदी का 200 वर्ग किमी. का ORI व 0.5 मीटर Accuracy का DEM का डाटा भेजा जा रहा है जो कि आपके कार्यालय में उपस्थित होकर आपको डाटा उपलब्ध करायेंगे।

उक्त आपके सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,
प्रदीप सिंह
27/02/2025
(प्रदीप सिंह)
अधिकारी सर्वेक्षक,
कृते निदेशक

प्रतिलिपि:- अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र चण्डीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

श्री/श्रीमती / यू०. सिंगलिक
संगणक/प्रारूपक/सहायक सहायक/प्रशासक आदि

अधिकारी
28/02/25

ANNEXURE P/13

राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की
क्रायोस्फीयर एवं जलवायु परिवर्तन अध्ययन केंद्र (C4S)

पत्र संख्या: 1205

दिनांक: 15/04/2025

प्रति,
श्री राजकुमार वर्ण
अधिशासी अभियंता
सिंचाई निर्माण प्रभाग, गाजियाबाद

विषय: गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जिले के लिए हिंडन नदी के बाढ़ मैदान क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) मैपिंग अध्ययन के संबंध में

महोदय,

आपके द्वारा प्राप्त अनुरोध (पत्र संख्या 3310/Sinikhaga/NGT, दिनांक: 14/11/2024) के आधार पर हिंडन नदी के बाढ़ मैदान क्षेत्र के मैपिंग अध्ययन हेतु चार घटकों के अनुरूप चार प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे (संलग्न पत्र प्रति संदर्भित)। इन चार अध्ययन घटकों में से हाल ही में खोखरी नदी (चौथा घटक, पत्र संख्या 643/Sinikhas/Sindhali Nadi/NGT, दिनांक: 28/03/2025, संलग्न प्रति) के लिए एक कार्य आदेश प्राप्त हुआ है।

इसके पश्चात, टेलीफोनिक चर्चा के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि शेष तीन घटकों (पत्र संख्या 3310/Sinikhaga/NGT, दिनांक: 14/11/2024 के अनुसार) के स्थान पर अब हिंडन नदी की संपूर्ण लंबाई (लगभग 355 किमी) के लिए एक समग्र अध्ययन किया जाएगा। हिंडन नदी के बाढ़ मैदान क्षेत्र के समग्र अध्ययन हेतु कार्य प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और यह आपके विचाराधीन है।

दिनांक 26/03/2026 को प्राप्त पत्र (पत्र संख्या 966/Sinikhaga/NGT, संलग्न प्रति) के संबंध में, यह अनुरोध है कि हिंडन नदी के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव और उल्लिखित बजट के साथ कार्य आदेश जल्द से जल्द प्रदान किया जाए। कार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा सकेगा और परियोजना कार्य प्रारंभ हो सकेगा।

साथ ही, यह अनुरोध भी है कि खोखरी नदी (जिला सहारनपुर एवं शामली) के लिए उच्च रिजॉल्यूशन डीईएम और अन्य आवश्यक डेटा (जैसे उपलब्ध स्थलों पर अपवाह एवं वर्षा संबंधी आँकड़े) प्रदान किए जाएँ (पत्र संख्या 966/Sinikhaga/NGT, संलग्न प्रति संदर्भित), क्योंकि इस नदी के लिए कार्य आदेश प्राप्त हो चुका है।

हिंडन नदी के अध्ययन घटकों को अंतिम रूप देने के लिए एक संक्षिप्त परियोजना चर्चा बैठक आयोजित करने का भी अनुरोध है।

Vishal Singh

भवदीय,
विशाल सिंह, वैज्ञानिक 'D'

अग्रसारितकर्ता,
प्रभागाध्यक्ष (C4S)

[Signature]
15/04/2025

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



टेली-फैक्स/Tele-fax - 0522-2720634
दूरभाष/Telephones-0522-2720638
ई-मेल/E-mail: up.pdc.soi@gov.in (Tech)
up.pdc-llr@up.nic.in (Admn)

निदेशक का कार्यालय/Office of Director
भारतीय सर्वेक्षण विभाग/Survey of India
मानचित्र भवन/Manchitra Bhawan
उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक निदेशालय (उत्तरी क्षेत्र)
Uttar Pradesh G.D. (Northern Zone)
5, विभूति क्लॉड, गोमतीनगर, लखनऊ - 226010 (UP)
5, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (UP)

पत्र सं० त-1767/39-C-ED (Court case)
सेवा में,

दिनांक:- 14/10/2025

अधिरासी अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।
(ई-मेल:- ee_icedgzb@yahoo.in)

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ ए संख्या - 569/2023 अलोक कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में जनपद गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद में हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हीकरण एवं सीमांकन के संबंध में।

- संदर्भ:-
1. आपके कार्यालय का पत्रांक- 1489/सिनिखगा/एन.जी.टी. दिनांक 13/05/2025
 2. इस कार्यालय का पत्र संख्या त-1559/39-C-ED (Court Case) दिनांक 22/04/2025
 3. इस कार्यालय का पत्र संख्या त-1439/39-C-ED (Court Case) दिनांक 07/04/2025
 4. इस कार्यालय का पत्र संख्या त-687/39-C-ED (Court Case) दिनांक 14/02/2025
 5. आपका अनुमति पत्र संख्या-आर0अ0प0उपा0 (का0व्य0)-01/2024 दिनांक 12/03/2025
 6. इस कार्यालय का पत्र संख्या त-6110/39-C-ED (Court Case) दिनांक 31/11/2024

नहोदय,

उपरोक्त विषय व संदर्भित पत्र (1) के अनुक्रम में आपको अवगत कराया है कि हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण हेतु जनपद गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर के 850 वर्ग किमी. के सापेक्ष बचे हुए 650 वर्ग किमी. का क्षेत्र रेड जोन (No flying Zone) में पड़ने के कारण ड्रोन फ्लाइंग हेतु संबंधित ATC से इस कार्यालय द्वारा सम्बद्ध फर्मों ने अनुमति प्राप्त की थी एवं जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा संदर्भित पत्र (5) के द्वारा अनुमति प्राप्त की गयी थी। परन्तु प्राप्त की गयी अनुमति के दौरान नोटम क्लियरेंस (ATC-Final Clearance) न मिल पाने के कारण ड्रोन फ्लाइंग का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। जिसके उपरान्त इस कार्यालय द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (2) व (3) द्वारा पुनः ड्रोन फ्लाइंग हेतु अनुमति हेतु पत्र प्रेषित किये गये।

परन्तु संबंधित अधिकारियों द्वारा वर्तमान परिस्थिति (WAR Situations) के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्रोन फ्लाइंग अनुमति न दिये जाने की मौखिक जानकारी उपलब्ध करायी गयी। यह कार्यालय ATC एवं जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद से निरन्तर सम्पर्क में है। परिस्थितियाँ सामान्य होने के उपरान्त ड्रोन सर्वेक्षण हेतु अनुमति प्राप्त होने के 2-3 माह में सम्पूर्ण (ड्रोन डाटा संग्रहण) सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त आपको शेष 650 वर्ग किमी. क्षेत्र का डाटा उपलब्ध करा दिया जायेगा।

उपरोक्त आपके सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- यथापरि।

भवदीय,

(पवन कुमार द्विवेदी)

अधिकारी सर्वेक्षक/तकनीकी अधिकारी
कृते निदेशक

प्रतिलिपि:- अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली कैंट को सूचनार्थ प्रेषित।

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

अनुसंधान
अमृत महोत्सव

टेली-फैक्स/Tele-fax - 0522-2720634
दूरभाष/Telephone-0522-2720638
ई-मेल/E-mail: up.gdc.soi@gov.in (Tech)
upgdc-lko@up.nic.in (Admin)



निदेशक का कार्यालय/Office of Director
भारतीय सर्वेक्षण विभाग/Survey of India
मानचित्र भवन/Manchitra Bhawan
उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक निदेशालय (उत्तरी क्षेत्र)
Uttar Pradesh G.D.(Northern Zone)
5, विभूतिखण्ड, गौमतीनगर, लखनऊ -226010(उ०प्र०)
5, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (UP)

पत्र सं० त- 4274/39-C-ED(Court case)
सेवा में,

दिनांक:- 10/12/2025

अधिसासी अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ. ए. संख्या - 569/2023 अलोक कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में जनपद गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद में हिण्डन नदी के फ्लड जोन के चिन्हीकरण एवं सीमांकन के संबंध में।

संदर्भ:- आपके कार्यालय का पत्रांक- 4508/सिनिखगा/एन.जी.टी. दिनांक 06/12/2025
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है इस कार्यालय द्वारा हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हीकरण एवं सीमांकन से संबंधित 200 वर्ग किमी. का ORI व 0.5 मी Accuracy का DEM पूर्व में उपलब्ध करा दिया गया है, शेष क्षेत्र DGCA द्वारा निर्धारित Red Zone में पड़ने के कारण इस कार्यालय द्वारा MOCA, MHA तथा Hindon Air Port Authority द्वारा Drone flying हेतु अनुमति मांगी गयी थी। MOCA तथा MHA द्वारा Drone flying की अनुमति मिलने के पश्चात् Hindon Airport Authority द्वारा सिर्फ शनिवार को 15.00 बजे के बाद ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी गयी है।

इस कार्यालय द्वारा शेष क्षेत्र में से लगभग 125 वर्ग किमी. क्षेत्र का ड्रोन डाटा संग्रहण का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। जिसका डाटा प्रोसेसिंग तथा QA/QC का कार्य जारी है। QA/QC का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् उपरोक्त डाटा भी आपको शीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।


शेष क्षेत्र के सर्वेक्षण हेतु कार्यालय द्वारा ड्रोन टीम क्षेत्र में कार्यरत की गयी है, परन्तु सप्ताह में शनिवार को 15.00 बजे के बाद सर्वेक्षण कार्य करने में आने वाली कठिनाईयों के कारण सर्वेक्षण कार्य सुगमता से पूर्ण नहीं हो पा रहा है। कार्य पूर्ण होते ही शेष समस्त डाटा आपके कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जायेगा। हिण्डन Airport Authority द्वारा क्षेत्र में ड्रोन सर्वेक्षण कार्य हेतु दी जाने वाली NOC हेतु आपके स्तर पर भी प्रयास किये जाने का अनुरोध है।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय
रविन्द्र मीना
(रविन्द्र मीना)
अधीक्षण सर्वेक्षक
कृते निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली कैंट को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० ओखला।
4. अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद।



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



टेली-फैक्स/Tele-fax - 0522-2720634
दूरभाष/Telephone-0522-2720638
ई-मेल/E-mail: up.gdc.soi@gov.in (Tech)
upgdc-lko@up.nic.in (Admn)

निदेशक का कार्यालय/Office of Director
भारतीय सर्वेक्षण विभाग/Survey of India
मानचित्र भवन/Manchitra Bhawan
उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक निदेशालय (उत्तरी क्षेत्र)
Uttar Pradesh G.D. (Northern Zone)
5, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010(उ०प्र०)
5, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (UP)

पत्र सं० त-५३५८/३९-८-एड(कॉर्ट केस)

दिनांक:- 15/12/2025

सेवा में,

अधिकांसी अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ ए संख्या - 569/2023 अलोक कुमार बनाम
यूनियन ऑफ इंडिया व. अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में जनपद गौतमबुद्धनगर एवं
गाजियाबाद में हिण्डन नदी के फ्लड जोन के चिन्हीकरण एवं सीमांकन के संबंध में।

- संदर्भ:- 1. आपके कार्यालय का पत्रांक- 4630/सिनिखगा/एन.जी.टी. दिनांक 11/12/2025
2. इस कार्यालय का पत्र संख्या त-4271/39-C-ED (Court case) दिनांक 10/12/2025

महोदय,


उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में लेख है कि पूर्व में इस कार्यालय में आपके कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये क्षेत्र पर प्लान कर आपको 850 वर्ग किमी. क्षेत्र के सर्वेक्षण प्लान व सर्वेक्षण का व्यय विवरण उपलब्ध कराया गया था। परन्तु उपरोक्त क्षेत्र DGCA द्वारा निर्धारित Red एवं Yellow Zone में पड़ने के कारण उपरोक्त क्षेत्र को पुनः संशोधित करने के पश्चात् नया क्षेत्र अब केवल 769 वर्ग किमी. का रह गया है जिसमें से 200 वर्ग किमी. का डाटा आपको पूर्व में उपलब्ध करा दिया गया है। शेष 569 वर्ग किमी. क्षेत्र से 369 वर्ग किमी. क्षेत्र का सर्वेक्षण के लिए M/S Aarav Unmanned System Pvt. Ltd. को कार्य आदेश जारी किया गया था, फर्म द्वारा लगभग 125 वर्ग किमी. क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। फर्म द्वारा डाटा जमा करने के पश्चात् कार्यालय में QA/QC हेतु जमा किया जाना शेष है। फर्म द्वारा डाटा जमा करने के पश्चात् कार्यालय द्वारा QA/QC में यदि डाटा उचित पाया जाता है तो वह कार्यालय द्वारा आपको 31 दिसम्बर, 2025

तक उपलब्ध करा दिया जायेगा। शेष 256 वर्ग किमी. का क्षेत्र DGCA द्वारा निर्धारित Red व Yellow Zone में पड़ने एवं उक्त क्षेत्र में High Rise Building होने के कारण ड्रोन फ्लाईंग हेतु 300 मीटर AGL पर ड्रोन फ्लाईंग अनुमति हेतु MOCA से पत्राचार किया है। परन्तु ड्रोन फ्लाईंग अनुमति न मिलने के कारण सर्वेक्षण कार्य लम्बित है। शेष 200 वर्ग किमी. का कार्य विभागीय ड्रोन टीम द्वारा किया जाना निर्धारित है। उक्त 200 वर्ग किमी. क्षेत्र भी DGCA द्वारा निर्धारित Red, Yellow Zone में पड़ने के कारण MOCA, MHA तथा Hindon व Sufderjung ATC द्वारा अनुमति कार्यालय को प्राप्त हुई है, परन्तु ATC Hindon द्वारा सप्ताह में सिर्फ शनिवार को दोपहर 15.00 बजे के पश्चात् सर्वेक्षण कार्य करने की अनुमति दी जाने के पश्चात् भी ड्रोन सर्वेक्षण टीमों को ड्रोन फ्लाईंग की अनुमति नहीं दी जा रही है। उपरोक्त अनुमति के अनुसार इस कार्यालय द्वारा किया जा रहा 200 वर्ग किमी. का कार्य लगभग 60 सप्ताह के पश्चात् ही पूर्ण किया जा सकने के पश्चात् ही आपको सम्पूर्ण डाटा उपलब्ध कराया जा सकेगा।

उपरोक्त ड्रोन सर्वेक्षण कार्य हेतु दी जाने वाली अनुमति (NOC) हेतु क्रमशः MOCA तथा हिण्डन एयरपोर्ट से आपके स्तर पर भी प्रयास किये जाने का अनुरोध है।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,


(रविन्द्र मीना)

अधीक्षण सर्वेक्षक
कृते निदेशक

- प्रतिलिपि:-
1. अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली कैंट को सूचनार्थ प्रेषित।
 2. मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
 3. मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0 ओखला।
 4. अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद।